

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 146]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

आ.अ. 191(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में 6—मेंडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 20—वडोदरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 21—मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्वक संचालन करने में सुप्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन से पूर्णतया परिचित हैं ।

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा आन्ध्र प्रदेश में 6—मेंडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 20—वडोदरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 21—मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है जिसमें 20 अगस्त, 2014 (बुधवार) को अधिसूचित किए गए लोक सभा के चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं ।

[सं. 576/3/ई.वी.एम./2014/एस.डी.आर. (उप-लो.स.)]

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**DIRECTION**

New Delhi, the 28th August, 2014

O.N. 191(E).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 6-Medak Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh, 20-Vadodara Parliamentary Constituency in Gujarat and 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 6-Medak Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh, 20-Vadodara Parliamentary Constituency in Gujarat and 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the House of the People of the said States notified on 20-08-2014 (Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

[No. 576/3/EVM/2014/SDR(Bye-HP)]

By Order,

ASHISH CHAKRABORTY, Secy.